

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 03.04.2025 को सुबह 11:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)।
- ii. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा
- iii. सुश्री हेमलता हेडाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग (डीजीएफटी) कार्यालय सीएलए, नई दिल्ली।
- iv. श्री मयंक जैन, सहायक प्रबंधक, उद्योग विभाग, डीआईसी, नोएडा
- v. सुश्री अंजलि मीना, आयकर अधिकारी, नोएडा।

• इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) श्री नोमान हाफिज, उप विकास आयुक्त (iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, एडीसी और (iv) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी/डीलिंग हैंड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

• प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. दिनांक 06.03.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि 06.03.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 06.03.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2. सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन का प्रस्ताव:-

2.1: मेसर्स गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक

3.2.1 मेसर्स गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री बी.डी. जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-14, नोएडा (उप्र) में आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में भूतल कैफेटेरिया, काउंटर नंबर 2, भवन नंबर बी-1 में 600 वर्ग निर्मित स्थान को मेसर्स ओटीएम

22/04/25
नामा 25-

हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे/किराये के आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार "साउथ इंडियन मील स्टाल" संचालित करने के लिए आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधाओं को संचालित करने और रखरखाव करने के लिए मेसर्स ओटीएम हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मेसर्स ओटीएम हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) परिसर में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक एनओसी/मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और वहां स्थित इकाई के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

मद संख्या 3: इकाई के क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रस्ताव:-

3.1 मेसर्स एक्सल सर्विस.कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-II)

3.1.1 श्री देबेन्द्र कुमार, एलएएम और श्री रमन भसीन, सलाहकार मेसर्स एक्सल सर्विस.कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बैठक में आभासी रूप से शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया।

3.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स एक्सल सर्विस.कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-II) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें मेसर्स गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-14, नोएडा (यूपी) में विंग बी, भवन नंबर बी-1, 5वीं मंजिल पर **32527** वर्ग फुट और विंग बी, भवन नंबर बी-1, भूतल पर **7540** वर्ग फुट जगह जोड़कर क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।

मद संख्या 4:- पेंट्री सहित कैफेटेरिया के विस्तार का प्रस्ताव:-

4.1 मेसर्स एरिस्टोक्रैट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

4.1.1 मेसर्स एरिस्टोक्रैट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रतीक कुकरेजा एवं श्रीमती दिविशा मित्तल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए तथा प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया।

4.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स एरिस्टोक्रैट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित अपनी इकाई के परिसर में 10वीं मंजिल, टॉवर 11ए में 1062 वर्ग फीट और 8वीं मंजिल, टॉवर 11ए में 160 वर्ग फीट क्षेत्र के अतिरिक्त पेंट्री सहित कैफेटेरिया का विस्तार शामिल है। यह वाणिज्य भवन (डीओसी) द्वारा जारी निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 और उसके बाद दिनांक 03.10.2023 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार है।

22/05/23
9/10/23

4.1.3 अनुमोदन वैधानिक अनुपालन के अधीन है और शर्त यह है कि न तो इकाई और न ही उसके विक्रेता (विक्रेता) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम/विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र होंगे, ऐसी सुविधाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए, इकाई द्वारा विकास आयुक्त को भुगतान किए गए पट्टे/अन्य शुल्कों पर शून्य रेटिंग के लाभों को छोड़कर। इकाई को प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी)/मंजूरी/अनुमोदन जैसे अग्नि, स्वास्थ्य आदि प्राप्त करना होगा, जहां भी लागू हो, जैसा कि निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत आवश्यक है। अनुमोदन समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी को निर्देश दिया कि वह सत्यापित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इकाई के परिसर में उपरोक्त सुविधाओं में वैधानिक अनुपालन पूरा किया जा रहा है।

मद संख्या 5: अनुमानों में संशोधन का प्रस्ताव:-

5.1 टी.एल.जी. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

5.1.1 मेसर्स टी.एल.जी. प्राइवेट लिमिटेड के श्री संजीत सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

5.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमानों में संशोधन के लिए मेसर्स टी.एल.जी. प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, बशर्ते कि संशोधित अनुमान पत्रक प्रस्तुत किया जाए, साथ ही विदेशी मुद्रा व्यय का विवरण और 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के क्रम संख्या और विवरण के अनुसार स्वदेशी इनपुट सेवाओं की मूल्यवार सूची प्रस्तुत की जाए।

5.2 कोफोर्ज लिमिटेड (यूनिट -2)

5.2.1 श्री मुकेश चौहान, मंडल प्रबंधक मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

5.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड (यूनिट -2) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, बशर्ते कि संशोधित अनुमान पत्रक प्रस्तुत किया जाए, साथ ही 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के क्रम संख्या और विवरण के अनुसार विदेशी मुद्रा व्यय का विवरण और स्वदेशी इनपुट सेवाओं की मूल्यवार सूची प्रस्तुत की जाए।

मद संख्या 6: अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के परिसर से शिफ्ट आधार पर परिचालन के लिए समय अवधि के विस्तार का प्रस्ताव।

6.1 मेसर्स जेवियंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

22/04/25
9/11/25

6.1.1 मेसर्स एरिस्टोक्रेट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रतीक कुकरेजा और श्रीमती दिविशा मित्तल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स जेवियंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), नोएडा (यूपी) में स्थित इकाई के प्रस्ताव को 15.06.2025 तक समय अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदित किया, जो कि मेसर्स लाइफवर्क्स वेलबीइंग सॉल्यूशंस (इंडिया) एलएलपी के एलओए के साथ-साथ शिफ्ट के आधार पर अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के अनुमोदित परिसर के एक हिस्से से संचालन करने के लिए है। यह अनुमोदन मेसर्स लाइफवर्क्स वेलबीइंग सॉल्यूशंस (इंडिया) एलएलपी से एनओसी प्रस्तुत करने के अधीन है।

मद संख्या 7 मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड, विकासक के प्रमोटरों के खिलाफ प्राप्त शिकायत

7.1. अनुमोदन समिति के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने इसे गंभीरता से लिया और अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित न होने के लिए विकासक से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि मामले में उचित निर्णय के लिए मामले को अगली अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाए। समिति ने विकासक को यह भी सूचित करने का निर्णय लिया कि उन्हें किसी भी प्रत्याशित एनपीए से संबंधित कोई निर्माण नहीं करना चाहिए।

अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 1.: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में लेनदेन को ऑनलाइन भरने से छूट का प्रस्ताव:-

1. मेसर्स विप्रो लिमिटेड (इकाई-IV)

1.1 मेसर्स विप्रो लिमिटेड (इकाई-IV) इस कार्यालय के पत्र दिनांक 08.10.2024 के तहत, इकाई को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) पर कोई आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं।

1.2 इकाई ने अनुरोध किया है कि केवल विशेषाधिकृत लेखापाल (CA) द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के अनुसार आंकड़े पर विचार किया जाए, क्योंकि उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ऑनलाइन पोर्टल पर लेन-देन को ओवरसाइट द्वारा अपडेट नहीं किया है। इकाई ने यह भी उल्लेख किया कि ज़ोन के भीतर अपनी स्वयं की विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयों को बिजली की आपूर्ति की गई थी। उनसे SEZ ऑनलाइन पर दाखिल करने की इस आवश्यकता को माफ करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उन्होंने उक्त इकाई के अंतिम निकास के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई वित्त वर्ष 2021-22 से गैर-परिचालन/बंद थी।

24/06/25
वा/पा/25

1.3 विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 78 के अनुसार, "ई-फाइलिंग - प्रत्येक विकासक और इकाई को सिस्टम चालू होने के एक महीने की अवधि के भीतर विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑनलाइन प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन और रिटर्न दाखिल करना होगा।"

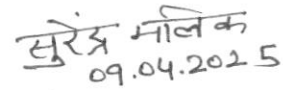
1.4 उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि इस मामले में युवा पेशेवर (कानूनी) से कानूनी राय ली जा सकती है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


09/04/25

(गया प्रसाद)

उप विकास आयुक्त


09.04.2025

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त